कायलय जानन

विषय :- झारखण्ड और गुजरात विधान सभाओ के उप चुनाव-सौरतिकी अवकाश प्रदान करने के संबंध में।

अधोहस्तांकी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जैसा कि निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि गुजरात और झारखण्ड राज्य विधान सभाओ के निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की रिक्तियों को भरे जाने के लिए दिनांक 20.12.2018 को उप-चुनाव करार जाएगा:–

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>राज्य</th>
<th>विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>झारखण्ड</td>
<td>71-कोलेबिरा (अ.जा.)</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>गुजरात</td>
<td>72-जसदान</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. इस संबंध में इस विभाग द्वारा दिनांक 10.10.2001 के जा.सैं. 12/14/99-जेसीए के माध्यम से अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं जिनका संबंधित राज्यों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाना है।

4. उपर्युक्त अनुदेशों को सूचना और अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

(राज्य, सार्वजनिक)
अवर सचिव (जेसीए)
टेलीफोन : 2309 2110

सेवा में,
1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सेट लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/केंद्रीय सरकार अयोग/नियंत्रक और महासेवक परीक्षक/लोक सेवा सचिवालय/राज्य सेवा सचिवालय/राष्ट्रीय सचिवालय/उप राष्ट्रीय सचिवालय/प्रदेश संस्थान कार्यालय।
3. उच्चतम न्यायालय/गुजरात उच्च न्यायालय/झारखण्ड उच्च न्यायालय/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्मिक, लोक शिक्षा कार्यालय तथा पौशण मंत्रालय/गृह मंत्रालय के सभी संबंध और अधिनियम कार्यालय।
5. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13 सी. फिरोजाबाद रोड, नई दिल्ली।
6. गुजरात राज्य के केंद्रीय संस्थान के कर्मचारी कल्याण समावेश समितियों के अध्यक्ष/सचिव।
7. झारखण्ड राज्य की राजधानी के केंद्रीय संस्थान कर्मचारी कल्याण समावेश समितियों के अध्यक्ष/सचिव।
8. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग।
9. गुजरात राज्य सरकार के मुख्य सचिव।
10. झारखण्ड राज्य सरकार के मुख्य सचिव।
11. भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को उनके दिनांक 05.12.2018 के पत्र सं. 78/पीपीएस/2018/61 के संदर्भ में।